

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 34 / 2009

दायर दिनांक 02.04.2009

उनवान		
टोलू	बनाम	मगनीराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.08..2020

—:निर्णय:—

पतरावली मूल वाद 74/2009 में साथ राजीनामा के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। मूल वाद में राजीनामा स्वीकार होने से पतरावली खारिज की गयी जिससे प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाती है। अतः पतरावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

